रिपोर्टेबल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4740/2022

प्रो. (डॉ.) अमरिका सिंह पुत्र श्री स्वर्गीय राम देनी सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 231, जानकी विहार कॉलोनी, 60 फीट रोड., लखनऊ, यू.पी.।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।

----प्रत्यार्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री एस.एस. होरा
प्रत्यार्थी की ओर से	:	श्री आर.पी. सिंह, एएजी/वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयवर्धन सिंह शेखावत ने सहायता की श्री जी.एस. राठौड़, जीए सह एएजी श्री प्रशांत शर्मा, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

<u>फैसला सुरक्षित रखा गया</u> : **29/08/2022**

<u>उच्चारित करने की तिथि</u> : **09/09/2022**

1. याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 166, 167, 420, 467, 468, 471 और 120ख के तहत अपराध के लिए जयपुर शहर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 106/2022 को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थना इस आधार पर है कि एफआईआर संज्ञेय अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करती है, बल्कि राजनीतिक और विभागीय प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज की गई है।

2. एफआईआर की पृष्ठभूमि यह है कि राजस्थान राज्य के सीकर में गुरुकुल विश्वविद्यालय के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 12.3.2021 को राज्य सरकार के पास एक प्रस्ताव आया था। यह प्रस्ताव गुरुकुल एजुकेशनल सोसायटी के ट्रस्टी की ओर से था। उक्त प्रस्ताव में गुरुकुल शैक्षिक समाज के कब्जे में भूमि के विशिष्ट दस्तावेजों के साथ आवश्यकताओं की उपलब्धता का विवरण शामिल था। राज्य सरकार ने पहले ही दिनांक 26.7.2007 को कार्यकारी निर्देश जारी कर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। दिशानिर्देश संख्या (4) के तहत, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव और परियोजना की जांच करने के लिए ऐसे सदस्यों से युक्त एक समिति का गठन किया, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तदनुसार, राज्य सरकार ने प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी, कुलपति, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उपरोक्त समिति ने दिनांक 19.6.2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, राज्य ने 2.7.2021 को गुरुकुल शिक्षण संस्थान को आशय-पत्र जारी किया, जिसमें गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्ट जानकारी शामिल थी। तदनुसार, गुरुकुल शिक्षण संस्थान ने 15.9.2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिशानिर्देश (11) के अनुसार, राज्य सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए याचिकाकर्ता और अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.9.2021 में नई समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल है। याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 8 में इस प्रकार कहा है:

> "8.....जिसके बाद याचिकाकर्ता ने समिति के सदस्यों के साथ, परिसर और साइट पर इमारतों का दौरा किया और परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कक्षाएं, सेमिनार हॉल, खेल के मैदान, खेल

सुविधाएं, छात्रावास आदि जैसी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया।"

3. याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद राज्य में निजी विश्वविद्यालय अर्थात गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर 22.3.2022 को चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कुछ चौंकाने वाले तथ्य सदन के ध्यान में लाये गये, विशेषकर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थान पर भूमि या भवन की अनुपलब्धता के बारे में। इसके बाद राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त, जयपुर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। समिति ने सभी संबंधितों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 1.4.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति ने बताया कि याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने गुरुकुल शिक्षण संस्थान के साथ मिलीभगत की और विश्वविद्यालय को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को झूठी सत्यापन रिपोर्ट पेश की। याचिकाकर्ता समिति ने रिपोर्ट दी कि गुरुकुल के पास 80.31 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा है। याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने गलत तरीके से यह कहा कि उक्त कृषि भूमि को पहले ही संस्थागत और स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य से परिवर्तित कर दिया गया था। दरअसल, ऐसा रूपांतरण 25.11.2021 को किया गया था। याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने गलत तरीके से यह बताया कि विश्वविद्यालय का भवन पहले से ही सभी आवश्यक संकायों के साथ पूरा हो चुका है। दरअसल, तथाकथित 80.31 एकड़ जमीन दो टुकड़ों में बंटी हुई थी और दो अलग-अलग तहसीलों में स्थित थी और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर थी। दरअसल, गुरुकुल एजुकेशनल सोसायटी के पास केवल आठ एकड़ जमीन थी जो विश्वविद्यालय खोलने और चलाने के लिए जरूरी जमीन से काफी कम थी। गुरुकुल एजुकेशनल सोसाइटी की एक छोटी सी इमारत के सामने, याचिकाकर्ता और समिति के अन्य सदस्यों ने यह पुष्टि करने के लिए तस्वीरें लीं कि सोसाइटी के पास विश्वविद्यालय चलाने के लिए पर्याप्त इमारत है। समिति के द्वारा गलत सूचना दी गई कि विश्वविद्यालय की

आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग-अलग ब्लॉकों अर्थात प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, आदि-आदि के रूप में में इमारतें थीं। इस प्रकार याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने मिथ्या दस्तावेज तैयार किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता और समिति के अन्य सदस्यों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव रखने में शामिल व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. होरा का तर्क है कि याचिकाकर्ता सर्वोच्च कोटि का शिक्षाविद् है और उसने शिक्षा के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। याचिकाकर्ता विभिन्न संस्थानों में विभिन्न सम्मानजनक पदों पर रहे और प्रासंगिक समय पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति थे। एफआईआर को देखने से समिति की ओर से कुछ लापरवाही का मामला सामने आ सकता है, जो लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए संज्ञेय है और विभागीय कार्यवाही के तहत याचिकाकर्ता और अन्य सदस्यों को पहले ही अलग-अलग तारीखों पर निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, एफआईआर संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करती है, इसलिए यह आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन मामलों पर भरोसा किया:

(1) कलुसिंग डेलसिंग राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य; मनु/एमएच/0122/1969;

(2) सरदार जसवन्त सिंह बनाम. राज्य; एआईआर 1966 जेएंडके 96;

(3) रमेश चंद बाहरी बनाम. ओम प्रकाश एवं अन्य, मनु/आरएच/0258/ 1976;

(4) गुजरात राज्य बनाम. श। मानशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी (1972) 2 एससीसी 392;

(5) लीगल रिमेम्बरेंस बनाम मन्मथ भूषण चटर्जी (1924) आईएलआर 51 कैल 250;

(6) इंदर मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य, (2007) 12 एससीसी 1;

(7) हरि साव एवं अन्य। बनाम बिहार राज्य, 1969 (3) एससीसी 107;

(8) राम जस बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य, 1970 (2) एससीसी 740;

(9) मतिलाल चक्रवर्ती बनाम द किंग 1949 एससीसी ऑनलाइन कैल 230;

(10) रिपुदमन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एम.सी.आर.सी. क्रमांक 167/2018, दिनांक 1.2.2018 को निर्णय लिया गया;

(11) अर्चना राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 3 एससीसी 751;

(12) एच.एल. रंगाराजू बनाम कर्नाटक राज्य, सीआर. आप. याचिका क्रमांक 11271/2013 दिनांक 11.2.2015 को निर्णय लिया गया;

(13) जितेन्द्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, सीआर आवेदन क्रमांक 06344/2016 दिनांक 30.7.2018 को निर्णय लिया गया;

(14) श्रीमती रामेश्वरी देवी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. आप. विविध याचिका क्रमांक 3162/2015 दिनांक 16.11.2017 को निर्णय लिया गया;

(15) राज गोपाल आचार्य गोस्वामी बनाम उपेन्द्र आचार्य गोस्वामी, 1926 एससीसी ऑनलाइन पैट 82;

(16) टी.आर. आर्य एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1986 एससीसी पीएंडएच 7;

(17) पृथ्वी सिंह बनाम राजस्थान राज्य. एवं अन्य, मनु/आरएच/0324/2016;

(18) माधा राम बनाम राजस्थान राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन राज. 1045;

(19) रेखा बानो बनाम. राजस्थान राज्य, एस.बी. आप. विविध याचिका क्रमांक

1561/2019, निर्णय दिनांक 7.3.2019

(20) श्रीमती रामेश्वरी देवी बनाम राज्य एवं अन्य, आप. विविध याचिका क्रमांक 3162/2015, दिनांक 16.11.2017 को निर्णय लिया गया

(21) ढपली एवं अन्य बनाम राज राज्य. एस.बी. आप. विविध याचिका क्रमांक 5506/2020 दिनांक 29.11.2021 को निर्णय लिया गया

(22) आर. राजगोपाल उर्फ आर.आर. गोपाल एवं अन्य बनाम टी.एन राज्य एवं अन्य, (1994) 6 एससीसी 632.

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-सह-अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आर.पी. सिंह का तर्क है कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से एक मिथ्या रिपोर्ट थी। यदि एफआईआर में संज्ञेय अपराध की विषय-वस्तु का खुलासा किया गया है, जिसका वस्तुतः खुलासा किया गया है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना आपराधिक अभियोजन के लिए कोई बाधा नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना।

7. यह न्यायालय एफआईआर में कथित प्रत्येक अपराध पर अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो लंबित जांच या अवसर आने पर मुकदमे की भविष्य की दिशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि, यह तय करने के उद्देश्य से कि क्या विवादित एफआईआर की जांच की आवश्यकता है, न्यायालय ने धारा 167 और 415 आईपीसी के तहत अपराधों की विषय-वस्तु की जांच की है, जिसे पक्षकारों द्वारा दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह सिद्ध हुई हो अथवा नहीं। आईपीसी की धारा 167 के तहत अपराध संज्ञेय अपराध है। प्रावधान यह वर्णित करता है कि:

> "167. क्षति पहुँचाने के इरादे से ग़लत दस्तावेज़ तैयार करने वाला लोक सेवक रहा है—जो कोई भी, एक लोक सेवक होने के

नाते, [ऐसे लोक सेवक के रूप में, जिस पर किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार करने या अनुवाद करने का प्रभार सौंपा गया है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाता है, तैयार करता है या उसका अनुवाद करता है] जिसकी रीति ऐसी हो, जिसे वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह गलत है और उसका आशय ऐसा है उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचेगी, या पहुँचने की सभावना है, उसे किसी भी ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आईपीसी की धारा 167 के तहत केवल उन लोक सेवकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिन पर ऐसे लोक सेवक की हैसियत से कोई दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया गया था। राज्य सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ को तैयार करना कुलपति का आधिकारिक व्यवसाय नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उपरोक्त प्रावधान के दायरे में नहीं आती है क्योंकि यह उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी से परे का कार्य था।

9. 'लोक सेवक' शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किया गया है और याचिकाकर्ता मद संख्या 'छह' के अंतर्गत आता है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"21. शब्द "लोक सेवक" निम्नलिखित किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को इंगित करते हैं, अर्थात्:

.....

.....

(vi) **प्रत्येक माध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय**

या किसी अन्य सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए कोई कारण या मामला भेजा गया है;

10. मौजूदा मामले में, राज्य सरकार एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जो ऊपर बताए गए कार्यकारी निर्देशों के तहत संदर्भित कार्य को करने के लिए एक समिति गठित करने में सक्षम है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि कार्यकारी निर्देशों में कानून का बल है, जब तक कि वे प्रचलित अधिनियमों या नियमों के विपरीत न हों। जाहिर है, इस मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका "अन्य व्यक्ति" की थी, जिसे किसी अन्य सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट के लिए कोई मामला भेजा गया था। याचिकाकर्ता एक लोक सेवक है जो आईपीसी की धारा 167 के तहत आता है। प्रथम दृष्टया यह तथ्य मौजूद है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक दस्तावेज (यहां रिपोर्ट) जानबूझकर गलत बनाया है। जब जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान की गई थी, तो इरादा स्पष्ट होगा कि इससे किसी व्यक्ति को क्षति होने की संभावना थी।

एफआईआर को रद्द करने की इस याचिका पर विचार करने के लिए यह माना गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 167 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। कथित अपराध संज्ञेय है, इसलिए जांच को शुरुआती स्तर पर नहीं रोका जा सकता है।

11. आईपीसी की धारा 415 'धोखाधड़ी' शब्द को परिभाषित करती है और यह दो भागों में है:-

> (क) जो कोई, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा,
>
> (ख) या धोखा खाए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या करने के लिए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता या यदि उसे धोखा नहीं दिया गया होता तो वह नहीं करता, और कौन सा

> कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति की क्षति या हानि का कारण बनती है या होने की संभावना है, उसे "धोखा देना" कहा जाता है।

12. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पहला भाग इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और न ही दूसरे भाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कपटपूर्ण और बेईमान प्रलोभन की आवश्यकता है। भाग (ख) की अपेक्षा उस व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करना है जिसे वह नहीं करता या छोड़ देता, अगर उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर गुरुकुल के पक्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हुए कि वह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए मामले को आगे बढ़ाया था। यदि राज्य सरकार को वस्तुस्थिति की सही जानकारी दी गयी होती, तो राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ती। अगली आवश्यकता यह है कि कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है या नुकसान हो सकता है। फिर, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के कृत्य से राज्य सरकार के शरीर, मन और संपत्ति को नुकसान होने की संभावना नहीं थी।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि "राज्य" एक न्यायिक व्यक्ति है। किसी निर्जीव वस्तु को धोखा नहीं दिया जा सकता या प्रतिष्ठा नहीं दी जा सकती, इसलिए आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। इस संबंध में, लीगल रिमेंबरेंस (सुप्रा) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है।

14. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त मामले में, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि रेलवे कंपनी की कोई 'प्रतिष्ठा' नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया कि प्रतिष्ठा को क्षति दूरस्थ थी और प्रत्यक्ष नहीं थी, इसलिए इस अपराध के लिए धारा 415 लागू नहीं होगी।

15. लीगल रिमेंबरेंस (सुप्रा) में रेलवे कंपनी के कर्मचारियों ने बी.पी. सिंह कोलियरी को कोयला ढोने के लिए रेलवे के परिवहन अधिकारी द्वारा लिए गए स्थायी निर्णय के अनुसार अनुमति से अधिक रेलवे वैगन आवंटित किए गए। प्रेक्षण का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "कोई निगम मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति नहीं उठा सकता है और आरोप मे कहा गया है कि रेलवे कंपनी को संपत्ति की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की क्षति हुई है। लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगा कि किसी निगमित कंपनी की प्रतिष्ठा कंपनी के व्यवसाय या उपक्रम के अच्छे आचरण के लिए हो सकती है और कंपनी की प्रतिष्ठा उसके किसी भी अधिकारी से काफी भिन्न हो सकती है, चाहे वह कितना भी उच्च पदस्थ क्यों न हो। हालाँकि, परिभाषा के तहत, केवल यह कहना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है कि दो जांचकर्ताओं के कदाचार ने कंपनी के प्रशासन को बदनाम किया। सवाल यह है कि क्या एक कोलियरी को अतिरिक्त वैगनों के आवंटन से, परिभाषा के अर्थ के तहत, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान होने की संभावना थी। प्रश्न यह है कि क्या एक कोलियरी को अतिरिक्त वैगनों के आवंटन से, परिभाषा के अर्थ के तहत, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान होने की संभावना थी। क्राउन के लिए यह बहुत ही प्रशंसनीय तर्क दिया गया था कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890, धारा 42(2) के तहत, "रेलवे प्रशासन किसी भी व्यक्ति विशेष को या उसके पक्ष में किसी अनुचित या गलत प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा या देगा", ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने निष्पक्षता के लिए अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है और वैगनों के आवंटन से यह प्रतिष्ठा प्रभावित या खतरे में पड़ गई है। मैं सकारात्मक रूप से यह नहीं कहूंगा कि रेलवे कंपनी की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकारियों की

> नजर में मैं यह निष्कर्ष निकालने को तैयार हूं कि यह नुकसान बहुत कम था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां जिस क्षति की शिकायत की गई है वह उस कार्रवाई के प्रत्यक्ष प्राकृतिक या संभावित परिणाम के बजाय अप्रत्यक्ष और परोक्ष है जिसे करने में कंपनी को धोखा दिया गया था। एक कोलियरी को अपने उचित हिस्से से अधिक वैगन मिलने का सीधा परिणाम यह होता है कि अन्य कोलियरियों को अपने उचित हिस्से से कम वैगन मिलने का नुकसान उठाना पड़ता है। यदि यह कहा जाए कि कंपनी के खिलाफ अनुचित प्राथमिकता के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा लाया गया है, तो धारा 415 के तहत ऐसी संभावना संपत्ति को नुकसान या क्षति की संभावना के तहत आएगी, न कि प्रतिष्ठा को नुकसान के तहत। मुझे लगता है कि लगाए गए आरोप की तुलना में संपत्ति के नुकसान या क्षति की संभावना की बात करने वाले आरोप का समर्थन करना आसान होगा। मेरी राय में वर्तमान विवरण के मामले में मन और प्रतिष्ठा के बजाय संपत्ति के क्षेत्र में प्राकृतिक और संभावित परिणामों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

16. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में प्रतिष्ठा शब्द को "उस अनुमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरों द्वारा आकलित किया जाता है"। विधि शब्दावली 1988 पृष्ठ 291 में "प्रतिष्ठा चरित्र या अन्य गुणों के संबंध में किसी व्यक्ति का आम या सामान्य अनुमान है"।

17. लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को अपने कृत्यों और चूकों के लिए लोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि राज्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सरकार के चुनाव के समय आम जनता द्वारा राज्य सरकार के कार्यों एवं गलत कार्यों को पर्याप्त रूप से उछाला जाता है तथा उन्हें कार्य रूप में परिणित किया जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस कारण से कि राज्य एक निर्जीव निकाय है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं

है। कोई भी सरकार बदनामी कमाना नहीं यह कल्पना की जा सकती है कि क्या होता यदि गुरुकुल निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित हो जाता और अधिनियम लागू हो जाता और उसके बाद जनता आवाज उठाती कि न तो विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध थी और न ही विश्वविद्यालय के लिए भवन है और राज्य सरकार द्वारा एक फर्जी विश्वविद्यालय को ऐसी अनुमति दी गई है। इससे केवल राज्य सरकार की बदनामी सामने आती। इसलिए, जाहिर तौर पर आईपीसी की धारा 415 की परिभाषा के दूसरे भाग के तहत मामला बनाया गया। याचिकाकर्ता समिति ने सोच-समझकर और जानबूझकर तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक अधिनियम पारित करने के लिए राजी किया, जिसे राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भूमि और भवन की अनुपलब्धता के संबंध में सही तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं किया जाता। धारा 415 आईपीसी की परिभाषा का दूसरा भाग कि प्रलोभन के कार्य से राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान होने की संभावना है, का प्रथम दृष्टया एफआईआर में भी खुलासा किया गया है।

इसकी पुष्टि के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है आक्षेपित एफआईआर न तो किसी राजनीतिक कारण का परिणाम थी न कि विभागीय प्रतिद्वंद्विता का क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में कोई विभागीय व्यक्ति शामिल नहीं है, बल्कि राज्य की मशीनरी ने एफआईआर दर्ज की है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे ऊपर बताए गए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को शामिल नहीं करते हैं। मामलों का निर्णय अलग-अलग मामलों के बिल्कुल अलग तथ्यात्मक परिदृश्य में किया गया है।

19. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर देखी गई कोई भी बात, विवादित एफआईआर से उत्पन्न होने वाली भविष्य

की कार्यवाही में किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

BRIJ MOHAN GANDHI/77/61

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।